

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्री. एम. ए. वनाम हकीम (कोर्ट)

किस्म मुकदमा 111/120 नं० 45 सन 2023

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तानील में जारी हुए
--------	----------------------------------	--

3-3-23

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 28-3-23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

28/3/23

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद शामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण के कितनी मर्तबा रुक रुक कर आवाने खिलायी जाये उपरान्त भी उपस्थित नहीं, उनके विक्रड एकतरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं, वकील प्रार्थीगण का प्राठपत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फेराल शुमार होकर नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलागिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 45/23 प्रा०पत्र

- 1- श्री अहमदगूर vs श्री अमीरुद्दीन मुसलमान गिवासी-केरिया तहसील-माण्डल
- 2- श्रीमती फातीमा vs श्री अमीरुद्दीन मुसलमान गिवासी-केरिया तहसील गाण्डल

-प्रार्थी

बनाम

- 1- श्री हफीम vs श्री सुल्तान मुसलमान गिवासी-केरिया तहसील-माण्डल
- 2- श्री प्रहलाद vs श्री मोहन खरीक गिवासी- केरिया तहसील-माण्डल
- 3- राजस्थान राज्य vs श्री तहसीलदार सा. गाण्डल तहसील-माण्डल

-विपक्षीयण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 28-03-23


::आदेश::

ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि केरिया पटवार हल्का केरिया तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की पृष्ठांकित पिटले पर कुल कितना 11 रकबा 1.92974 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता है।


समें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।
ना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 03-03-23 को पंजीवद्ध किया जाकर प्रकरण को से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

ना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम केरिया पटवार केरिया तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. पृष्ठांकित पिटले पर 11 रकबा 1.92974 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये गढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक आलमास को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर आलमास की जावें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

सीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की कर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा